इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 350] भोपाल, सोमवार, दिनांक 28 सितम्बर 2020—आश्विन 6, शक 1942

वाणिज्यिक कर विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 28 सितम्बर 2020

क्र. एफ ए 3-30-2020-1-पाँच-(60).—चूंकि, राज्य शासन का यह समाधान हो गया है कि मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, 2002 (2002 का क्र. 20), केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 (1956 का क्र. 74), मध्यप्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1976 (1976 का क्र. 52), (निरसित), मध्यप्रदेश विलासिता, मनोरंजन, आमोद एवं विज्ञापन कर अधिनियम, 2011 (2011 का क्र. 11), (निरसित), के अंतर्गत ऐसे समस्त अपील प्रकरण जो अपीलीय प्राधिकारी, के समक्ष लंबित है तथा जो मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, 2002 (2002 का क्र. 20) की धारा 46 की उपधारा (8) के खण्ड (क) के प्रावधानों के अनुसार या तो समय-सीमा में निवर्तित नहीं किये गये हैं या 31 मार्च, 2021 तक निवर्तित किया जाना है, अपीलीय प्राधिकारी के समस्त प्रयासों के बावजूद समय-सीमा में निवर्तित नहीं किये जा सकते हैं, ऐसे अपीलों के निर्वतन के लिए न्याय की दृष्टि से अपीलीय प्राधिकारी को सक्षम करने के उद्देश्य से, ऐसी अपीलों के निराकरण की समय-सीमा बढ़ायी जानी आवश्यक है.

अतएव, मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, 2002 (2002 का क्र. 20) की धारा 46 की उपधारा (9) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार एतद्द्वारा, उक्त अधिनियमों के अंतर्गत ऐसी प्रत्येक अपील जो या तो समय-सीमा में निवर्तित नहीं की गयी हैं या 31 मार्च, 2021 तक निवर्तित किया जाना है, के निवर्तन की समय-सीमा 31 मार्च, 2022 तक बढ़ायी जाती है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रत्नाकर झा, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 28 सितम्बर 2020

क्र. एफ ए 3-30-2020-1-पाँच.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस आशय की अधिसूचना क्रमांक एफ ए 3-30-2020-1-पांच-(60), दिनांक 28 सितम्बर, 2020 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रत्नाकर झा, उपसचिव.

Bhopal, the 28th September 2020

No. F A 3-30-2020-1-V-(60).—Whereas, the State Government is satisfied that all such appeals under the Madhya Pradesh VAT Act, 2002 (No. 20 of 2002), the Central Slales Tax Act, 1956 (No. 74 of 1956), the Madhya Pradesh Sthaniya Kshetra Me Mal Ke Pravesh Par Kar Adhiniyam, 1976 (No. 52 of 1976) (repealed), the Madhya Pradesh Vilasita, Manoranjan, Amod Evam Vigyapan Kar Adhiniyam, 2011 (No. 11 of 2011) (repealed) which are pending before Appellate Authorities and which have either not been disposed of within the time limit or have to be disposed of by the end of 31st March, 2021 as per the provisions of clause (a) of sub-section (8) of Secction 46 of the Madhya Pradesh VAT Act, 2002 (No. 20 of 2002), can not be disposed of within the time limit, despite all possible efforts being made by the Appellate Authorities and that in order to enable the Appelleate Authorities to dispose of such appeals, it is necessary in the interest of justice that the time limit for the disposal of such appeals should be extended.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (9) of Section 46 of the Madhya Pradesh VAT Act, 2002 (No. 20 of 2002), the State Government, hereby, extends time limit up to 31st March, 2022 for disposal of every such appeal under the said Acts, which have not been either disposed of within the time limit or have to be disposed of by 31st March, 2021.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
RATNAKAR JHA, Dy. Secy.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2020.